

FROM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

APP-A
Crime-I

त उपखण्ड अधिकारी मुकाम रैणी
दूसरे चंड रानी कौठ बानाम शतद्रमाल शर्मा
दमा न सन

हुकम या कार्रवाही मय इनिशियल जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील में
जारी हुए

2021 कोच मह दावा वाडी/पकील श्री
दुनेल शर्मा डाय पेश मिया गुणा
प्रतिवादीगण को लम्बे शर्जिट्स
सम्मत से लम्बे मिया जाये, डम्ब
शर्जिट्स हो। पत्रावली डिग्री
11/12/2021 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी
रैणी जिला अलवर

आज यह पत्रावली खरोरणा से राज्य सरकार के निर्देशों की
पालना में कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत... (डैरा).....
में दिनांक... 11/12/21... को पेश होने वारते लम्बे होकर
पेश हुई। पत्रावली को कैम्प कोर्ट/राजस लोक अदालत
ग्राम पंचायत... (डैरा)..... में उपस्थित होने वारते नोटिस
जारी हो। पत्रावली दिनांक... 11/12/21... को कैम्प कोर्ट/
राजस लोक अदालत ग्राम पंचायत... (डैरा)..... पेश हों।

उपखण्ड अधिकारी
रैणी जिला अलवर

उपखण्ड - वाडी

10/12/21

11/12/21

कोच मह पत्रावली प्रबालन जावों कोच मह
इतिहास 2021 कैम्प कोर्ट शर्जिट्स
डैरा में पेश हुई। पत्रावली (उपस्थित)
पत्रावली ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर
निवेदन किया कि हम पत्रावली (उपस्थित)
सदस्यों में बरकरार करवाना चाहते हैं व
कोच मह प्रक्रियाही नहीं चाहते हैं।
इसलिए प्रक्रिया विज्ञा करवाना चाहते हैं

शतद्रमाल - प्रतिवादी

दूसरे गानेकी

लगावधि

शुभ! पक्षकारानु का भार्गवा पत्र स्वीकार
किया जाकर प्रकरण ड्राप किया जाता है।
पत्रावली फौजदारी शुभार होकर शफ्टर से
काम की जावे। बाद में दफ्तर दाखिल
होगा

बीआसीन अधिकारी
पत्रावली बाँटों के संग अक्टूबर 2021
कानून जो ग्राम पंचायत
उपखण्ड अधिकारी रेजी (अलवर)